

08/4/21

पत्रावली के द्वारा इच्छित वकालत काडी उपस्थित
 प्रतिवादीगण को तलबी हेतु नोटीस प्रस्तुत
 नहीं किए गए जिसके पत्रावली तलबी को
 स्टेज पर ही विचारणीय है पूर्व दिनांक
 19/04/2021 को नोटीस प्रस्तुत करने का
 आन्तरिक अवसर दिए जाने के बावजूद नोटीस
 प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके जाहिर होना
 है कि बारी को वर पत्र चलाने से कोई
 कानूनी नुकसान नहीं है। अतः प्रकाश कानूनी आदेश
 09 नियम 02 जा. की. के तहत खारिज किया
 जाता है। पत्रावली को जल शुमार होकर नग्न
 हो काम हो।

2018
00324

(**रविशंकर सुन्दर विशनोई**)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 चित्तौड़गढ़ (राज.)

